

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 मार्च 2021 — फाल्गुन 19, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 मार्च 2021

क्रमांक 3705/डी. 36/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 19-02-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2021)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं.2) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|---|-----|---|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा. |
| | (2) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम 1899 का सं. 2) का संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट हैं) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाये. |
| अनुसूची 1-क का संशोधन. | 3. | मूल अधिनियम की अनुसूची 1-क में, 'अनुच्छेद 20क समाशोधन सूची' को उसके खण्डों सहित विलोपित किया जाये. |

अटल नगर, दिनांक 10 मार्च 2021

क्रमांक 3705/डी. 36/21-अ/प्रारू./छ.ग./21.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 10-3-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 5 of 2021)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2020

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-----|---|---|
| 1. | (1) | This Act may be called the Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Act, 2020. | Short title and commencement. |
| | (2) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh be amended in the manner hereinafter provided. | Amendment of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Chhattisgarh. |
| 3. | | In Schedule 1-A of the Principal Act, 'Article 20-A Clearance List' alongwith its clauses shall be omitted. | Amendment of Schedule 1-A. |